महत्वपूर्ण ग्रामीण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

—मयंक श्रीवास्तव

आर्थिक रफ्तार से भरपूर, लेकिन जनता से नहीं दूर। शायद यही इस बजट का संदेश है। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं लेकिन लोक-लुभावन घोषणाओं से सरकार ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाया है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर होने के बावजूद भी इस बजट में आम आदमी यानी ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास वित्तमंत्री ने किया है। इस बजट में घोषित तमाम योजनाओं पर डालते हैं एक नज़र

भारत के वर्तमान वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बहुप्रतीक्षित पूर्ण बजट देश को समर्पित किया जो प्रधानमंत्री के विज़न 'मेक इन इंडिया' को साकार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित है। वित्तमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही यह बताने का प्रयास किया कि पिछली सप्रंग सरकार से विरासत में मिली जर्जर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। ''आर्थिक रफ्तार से भरपूर, लेकिन जनता से नहीं दूर,'' शायद यही इस बजट का संदेश है। इस बजट में तमाम घोषणाएं की गई हैं लेकिन लोक लुभावन घोषणाओं से सरकार ने अपने आप को बचाने का प्रयास किया है और दूरगामी दृष्टिकोण को अपनाया है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर होने के बावजूद भी इस बजट में आम आदमी यानी ग्रामीणों के लिए बहुत कुछ देने का प्रयास वित्तमंत्री ने किया है।

अटल पेंशन योजना

वित्तमंत्री ने एक नई पहल के तहत इस बजट में एक नई योजना, 'अटल पेंशन योजना' की घोषणा की जो एक जून, 2015 से अस्तित्व में आएगी। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार की योजना है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। यह योजना खासकर के उन खाताधारकों के लिए है जो कानूनी रूप से किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन नागरिकों के लिए है जो नई पेंशन योजना (एन. पी. एस.) का लाभ लेना चाहते हैं। इसके तहत जितना योगदान पेंशन बचत के लिए जनता करेगी उसका आधा हिस्सा (50 प्रतिशत) सरकार की तरफ से (अधिकतम 1000 रुपये का) सालाना योगदान दिया जाएगा। मसलन जनता नई पेंशन स्कीम के तहत खाता खोलती है और दो हजार रुपये सालाना जमा करना है तो इसमें एक हजार रुपये सरकार अपनी तरफ से देगी। केंद्र ने अगले पांच साल तक यह योगदान करने की बात कही है लेकिन इसका लाभ उन्हीं ग्राहकों को मिलेगा

जो कर का भुगतान नहीं करते और 31 दिसम्बर, 2015 तक पेंशन खाता खोलेंगे। यह योजना 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के नागरिकों के लिए है। इस योजना के लाभार्थियों को 60 वर्ष तक योगदान के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी जोकि उम्र के साथ परिवर्तित होगी। इसमें योगदान की अवधि अधिकतम 20 वर्ष होगी। पहले से अस्तित्व में चल रही स्वावलंबन योजना के सब्सक्राइबर इस योजना में शामिल हो जाएंगे। इस योजना में मिलने वाले लाभ को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है।

यह उदाहरण उन स्थितियों के लिए है जब लाभार्थी को 2000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही हो।

योजना में शामिल होते समय आयु	योगदान का वर्ष (60वर्ष–वास्तविक आयु)	सांकेतिक मासिक योगदान (रुपये में)	लाभार्थी को मासिक पेंशन (रुपये में)	लाभार्थी द्वारा नामांकित व्यक्ति को समस्त सांकेतिक वापसी (रुपये में)
18	42	84	2000	3.4 लाख
20	40	100	2000	3.4 लाख
25	35	151	2000	3.4 लाख
30	30	231	2000	3.4 लाख
35	25	362	2000	3.4 लाख
40	20	582	2000	3.4 लाख

साभारः प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

यह एक जीवन बीमा से संबंधित योजना है। यह योजना 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के उन नागरिकों के लिए है जिनके पास बैंक खाता है। जो लोग इस योजना को 50 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व अपनाते हैं उन्हें 55 वर्ष तक जोखिम कवर मिलता है बशर्ते इसकी निर्भरता इस पर है कि बीमा का प्रीमियम कितना है।

सामान्यतः इस योजना में प्राकृतिक और दुर्घटना दोनों तरह की मौत होने पर आश्रितों को दो लाख रुपये की बीमा राशि देने का प्रावधान है। इसका सालाना प्रीमियम 330 रुपये है जो एकमुश्त स्वयं लाभार्थी के खाते से कट जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जीवन बीमा निगम और दूसरी उन बीमा कंपनियों को, जो इच्छुक हैं, लगाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना

देश के नागरिकों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खासकर के गरीबों और पिछड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का ऐलान किया गया है। इस योजना को प्रधानमंत्री की सर्वप्रिय जन धन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत खाता खोलने वाले 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के ग्राहकों से हर महीने एक रुपया काटा जाएगा जो स्वतः खाते से कट जाएगा। इसे बीमा स्कीम में जोड़ा जाएगा। यानी हर वर्ष 12 रुपये का प्रीमियम बीमा के लिए देना होगा और इसके बदले दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। इस योजना का कार्यान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और दूसरी अन्य इच्छुक कंपनियों के द्वारा किया जाएगा।

सामाजिक रूप से पिछड़े उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक

वित्तमंत्री ने अपने बजट में सामाजिक रूप से पिछड़े उद्यमियों के लिए मुद्रा बैंक का गठन करने की घोषणा की है। तकरीबन 20 हजार करोड़ रुपये के शुरुआती कोष के साथ शुरू होने वाले इस बैंक के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को ऋण आदि की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसका ऋण गारंटी कोष 3000 करोड़ रुपये का होगा। यह मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पुनर्वित्त संस्थान होगा।

अल्पसंख्यक युवाओं के लिए नई मंजिल योजना

सरकार अल्पसंख्यकों को हुनरमंद बनाने का काम जारी रखेगी, चाहे उनके पास औपचारिक स्कूल प्रमाणपत्र हो या न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए 'नई मंजिल' नाम की एकीकृत शिक्षा और आजीविका योजना शुरू की जाएगी।

प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम

इसके माध्यम से सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी युक्त छात्र वित्तीय सहायता प्रधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।

(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार तथा केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं)
ई–मेल : mayank5782@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने का पता
विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	10 रुपये
वार्षिक शुल्क	:	100 रुपये
द्विवार्षिक	:	180 रुपये
त्रिवार्षिक	:	250 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)		
सार्क देशों में	:	530 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	730 रुपये (वार्षिक)